



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 2018/माघ 17, 1939

No. 49]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 2018/MAGHA 17, 1939

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2018

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018

सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.024 - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में -

(i) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(जक) ‘मूल्यांकन मेट्रिक्स’ से समाधान योजनाओं पर उसके अनुमोदन के लिए विचार करने हेतु लागू किए जाने वाले ऐसे पैरामीटर और ऐसे पैरामीटरों को लागू करने की रीति अभिप्रेत है, जैसा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए;

(जख) ‘उचित मूल्य’ से निगमित ऋणी की आस्तियों का ऐसा प्राक्कलित प्राप्त करने योग्य मूल्य अभिप्रेत है, यदि उनका दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को एक इच्छुक क्रेता और एक इच्छुक विक्रेता के बीच किसी निष्पक्ष संव्यवहार में

समुचित विपणन के पश्चात् विनिमय किया जाना हो और जहां पक्षकारों ने जानकर, बुद्धिमानी से और विवशता के बिना कार्य किया हो;”;

(ii) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ट) ‘परिसमापन मूल्य’ से निगमित ऋणी की आस्तियों का ऐसा प्राक्कलित प्राप्त करने योग्य मूल्य अभिप्रेत है यदि निगमित ऋणी का समापन दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को किया जाना हो।”

3. मूल विनियमों के विनियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“27. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति – समाधान वृत्तिक अपनी नियुक्ति के सात दिनों के भीतर विनियम 35 के अनुसार निगमित ऋणी के उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य का अवधारण करने के लिए दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति करेगा:

परन्तु निम्नलिखित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त नहीं किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) समाधान वृत्तिक का कोई नातेदार;

(ख) निगमित ऋणी का कोई संबद्ध पक्षकार;

(ग) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय निगमित ऋणी का कोई संपरीक्षक; या

(घ) ऐसी दिवाला वृत्तिक इकाई का, जिसका समाधान वृत्तिक एक भागीदार या निदेशक है, कोई भागीदार या निदेशक।”

4. मूल विनियमों के विनियम 35 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“35. उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य.

(1) उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य का अवधारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा;

(क) विनियम 27 के अधीन नियुक्त दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, निगमित ऋणी की संपत्ति-तालिका और नियत आस्तियों का सत्यापन करने के पश्चात् समाधान वृत्तिक को अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसार संगणित उचित मूल्य का और परिसमापन मूल्य का प्राक्कलन प्रस्तुत करेंगे;

(ख) यदि समाधान वृत्तिक की राय में, दोनों प्राक्कलन महत्वपूर्ण रूप से भिन्न-भिन्न हैं तो वह एक अन्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त कर सकेगा, जो कि उसी रीति में संगणित एक प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा; और

(ग) मूल्य के दो निकटतम प्राक्कलनों का औसत क्रमशः उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य समझा जाएगा।

(2) समाधान वृत्तिक, संहिता और इन विनियमों के अनुसार समाधान योजनाओं की प्राप्ति के पश्चात्, समिति के प्रत्येक सदस्य को, सदस्य से इस आशय का वचनबंध प्राप्त करने पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य उपलब्ध करेगा कि ऐसा सदस्य उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसे मूल्यों का, स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करने के लिए प्रयोग नहीं करेगा और धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा;

(3) समाधान वृत्तिक और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य की गोपनीयता बनाए रखेगा।”

5. मूल नियमों के विनियम 36 के उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

(1) उप-विनियम (4) के अधीन रहते हुए, समाधान वृत्तिक, सूचना ज्ञापन को इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा-

(क) अपने समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्ति के दो सप्ताह के भीतर समिति के प्रत्येक सदस्य को; और

(ख) प्रत्येक भावी समाधान आवेदक को अधिक से अधिक संहिता की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन समाधान योजना के आमंत्रण की तारीख तक उपलब्ध कराएगा।”

6. मूल विनियमों के विनियम 36 के उप-विनियम (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को ऐसे विवरण सहित आस्तियां और दायित्व, जो उनके मूल्य अभिनिश्चित करने के लिए आमतौर पर आवश्यक हैं।

स्पष्टीकरण: ‘विवरण’ के अंतर्गत वे ब्यौरे आते हैं, जैसे अर्जन की तारीख, अर्जन की लागत, शेष उपयोगी अवधि, पहचान संख्यांक, प्रभारित अवक्षयण, बही मूल्य और कोई अन्य सुसंगत ब्यौरे।”

7. मूल विनियमों के विनियम 36 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) समाधान वृत्तिक, समिति के किसी सदस्य या किसी भावी समाधान आवेदक से इस आशय का वचनबंध प्राप्त करने के पश्चात् कि ऐसा सदस्य या समाधान आवेदक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगा और ऐसी जानकारी का, स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि कारित करने के लिए प्रयोग नहीं करेगा और धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, सूचना ज्ञापन को साझा करेगा।”

8. मूल विनियमों में, विनियम 36 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

#### “36क. समाधान योजनाओं का आमंत्रण

(1) समाधान वृत्तिक, भावी समाधान आवेदकों को धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अनुसार समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन मेट्रिक्स भी है, जारी करेगा।

(2) जहां आमंत्रण में मूल्यांकन मेट्रिक्स नहीं है वहां समाधान वृत्तिक, समिति के अनुमोदन से भावी समाधान आवेदकों को समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व मूल्यांकन मेट्रिक्स जारी करेगा।

(3) समाधान वृत्तिक, समिति के अनुमोदन से, यथास्थिति, उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के अधीन दी गई समय-सीमा के भीतर आमंत्रण, मूल्यांकन मेट्रिक्स या दोनों में उपांतरण कर सकेगा।

(4) इस विनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमाएं चालू निगमित दिवाला समाधान प्रक्रियाओं को वहां लागू नहीं होंगी -

(क) जहां उप-विनियम (1) के अधीन समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए सैंतीस दिन से कम की अवधि बची है;

(ख) जहां उप-विनियम (2) के अधीन समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अठारह दिन से कम की अवधि बची है।

(5) समाधान वृत्तिक आमंत्रण की संक्षिप्त विशिष्टियां अनुसूची के प्ररूप छ में :

(क) निगमित ऋणी की वैबसाइट पर, यदि कोई है; और

(ख) बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित वैबसाइट पर, यदि कोई है

प्रकाशित करेगा।”

9. मूल विनियमों में, विनियम 37 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

#### “37. समाधान योजना

(1) किसी समाधान योजना में ऐसे अध्येपाय होंगे, जो निगमित ऋणी की आस्तियों के मूल्य के अधिकतम मूल्यांकन के लिए आवश्यक हों, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु यहां तक सीमित नहीं हैं -

- (क) निगमित ऋणी की समस्त या आंशिक आस्तियों का एक या अधिक व्यक्तियों को अंतरण करना;
- (ख) समस्त या आंशिक आस्तियों का, चाहे वे किसी प्रतिभूति हित के अध्यक्षीन हैं अथवा नहीं, विक्रय करना;
- (ग) निगमित ऋणी के सारवान् शेयरों का अर्जन करना या निगमित ऋणी का एक या अधिक व्यक्तियों में विलयन या समेकन करना;
- (घ) किसी प्रतिभूति हित की तुष्टि या उपांतरण करना;
- (ङ) निगमित ऋणी से देय किसी ऋण के निबंधनों में सुधार करना या किसी भंग का अधित्यजन करना;
- (च) लेनदारों को संदेय रकम में कटौती करना;
- (छ) निगमित ऋणी से देय किसी ऋण की परिपक्वता तारीख का विस्तार करना या ब्याज की दर या अन्य निबंधनों में परिवर्तन करना;
- (ज) निगमित ऋणी के गठन संबंधी दस्तावेजों में संशोधन करना;
- (झ) नकदी, संपत्ति, प्रतिभूतियों के लिए या दावों या हितों के विनिमय या अन्य समुचित प्रयोजन के लिए निगमित ऋणी की प्रतिभूतियों का जारी किया जाना;
- (ञ) निगमित ऋणी द्वारा उत्पादित या प्रदान किए गए माल या सेवाओं के पोर्टफोलियों में परिवर्तन करना;
- (ट) निगमित ऋणी द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करना; और
- (ठ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करना ।”
10. मूल विनियमों के विनियम 39 के उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम (3क) रखा जाएगा, अर्थात्:-
- “(3क) समिति, धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन समाधान योजना का अनुमोदन करते समय विनियम 38 के उप-विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए समाधान योजना के अधीन आने वाले संसाधनों से संदेय रकमों को विनिर्दिष्ट करेगी ।”
11. मूल विनियमों के विनियम 39 के उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम (4) रखा जाएगा, अर्थात्:-
- “(4) समाधान वृत्तिक समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को धारा 12 के अधीन अनुज्ञात अधिकतम अवधि के अवसान से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इस प्रमाणपत्र सहित अधिनिर्णयन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि:
- (क) समाधान योजना की अंतर्वस्तुएं संहिता और विनियमों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करती हैं; और
- (ख) समाधान योजना का समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है ।”
- परन्तु इस उप-विनियम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा ऐसी किसी चालू निगमित दिवाला प्रक्रिया को लागू नहीं होगी जिसने अपने प्रारंभ से 130वां दिन पूरा कर लिया है ।
12. मूल विनियमों में, अनुसूची के प्ररूप च के अंत में निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप छ

समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36क के उप-विनियम (5) के अधीन)

..... (निगमित ऋणी का नाम) के भावी समाधान आवेदकों के ध्यानाकर्षण के लिए

क्रम सं.	विशिष्टियां	
1	निगमित ऋणी का नाम	
2	निगमित ऋणी के निगमन की तारीख	
3	वह प्राधिकारी, जिसके अधीन निगमित ऋणी निगमित/ रजिस्ट्रीकृत है	
4	निगमित ऋणी का निगमन पहचान संख्यांक/सीमित दायित्व पहचान संख्यांक	
5	निगमित ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	
6	निगमित ऋणी की बाबत दिवाला प्रारंभ होने की तारीख	
7	दिवाला समाधान प्रक्रिया बन्द करने की अनुमानित तारीख	
8	सूचना ज्ञापन जारी करने की तारीख	
9	भावी समाधान आवेदकों द्वारा सूचना ज्ञापन प्राप्त करने की रीति	
10	समाधान योजनाओं के लिए आमंत्रण जारी करने की तारीख	
11	भावी समाधान आवेदकों द्वारा आमंत्रण प्राप्त करने की रीति	
12	मूल्यांकन मेट्रिक्स जारी करने की तारीख	
13	भावी समाधान आवेदकों द्वारा मूल्यांकन मेट्रिक्स प्राप्त करने की रीति	
14	समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	
15	किसी भावी समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की रीति	
16	बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत समाधान वृत्तिक का नाम, पता और ईमेल	
17	क्रम सं. 16 पर दिए गए पते और ईमेल से भिन्न पता और ईमेल, यदि कोई है, जिसका प्रयोग समाधान वृत्तिक के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए किया जाना है	
18	समाधान वृत्तिक का, बोर्ड द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	

समाधान वृत्तिक के हस्ताक्षर  
.....(निगमित ऋणी का नाम) की ओर से  
तारीख और स्थान.....”

डा. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III /4/असा. /421/17]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें तत्पश्चात्

(1) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.013, तारीख 16 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017;

(2) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.018, तारीख 5 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017;

(3) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.019, तारीख 7 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017; और

(4) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.022, तारीख 31 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 द्वारा संशोधन किए गए थे।

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6<sup>th</sup> February, 2018

### Insolvency And Bankruptcy Board Of India (Insolvency Resolution Process For Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2018

**No. IBBI/2017-18/GN/REG024.**— In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2018.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in sub-regulation (1) of regulation (2),-  
(i) after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:-  
“(ha) “evaluation matrix” means such parameters to be applied and the manner of applying such parameters, as approved by the committee, for consideration of resolution plans for its approval;  
(hb) “fair value” means the estimated realizable value of the assets of the corporate debtor, if they were to be exchanged on the insolvency commencement date between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length transaction, after proper marketing and where the parties had acted knowledgeably, prudently and without compulsion;”  
(ii) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-  
“(k) “liquidation value” means the estimated realizable value of the assets of the corporate debtor, if the corporate debtor were to be liquidated on the insolvency commencement date.”.
3. In the principal regulations, for regulation 27, the following regulation shall be substituted, namely:-  
“27. **Appointment of registered valuers.** - The resolution professional shall within seven days of his appointment, appoint two registered valuers to determine the fair value and the liquidation value of the corporate debtor in accordance with regulation 35:  
Provided that the following persons shall not be appointed as registered valuers, namely:  
(a) a relative of the resolution professional;  
(b) a related party of the corporate debtor;

(c) an auditor of the corporate debtor at any time during the five years preceding the insolvency commencement date; or

(d) a partner or director of the insolvency professional entity of which the resolution professional is a partner or director.”

4. In the principal regulations, for regulation 35, the following regulation shall be substituted, namely:-

**“35. Fair value and Liquidation value.**

(1) Fair value and liquidation value shall be determined in the following manner:-

(a) the two registered valuers appointed under regulation 27 shall submit to the resolution professional an estimate of the fair value and of the liquidation value computed in accordance with internationally accepted valuation standards, after physical verification of the inventory and fixed assets of the corporate debtor;

(b) if in the opinion of the resolution professional, the two estimates of a value are significantly different, he may appoint another registered valuer who shall submit an estimate of the value computed in the same manner; and

(c) the average of the two closest estimates of a value shall be considered the fair value or the liquidation value, as the case may be.

(2) After the receipt of resolution plans in accordance with the Code and these regulations, the resolution professional shall provide the fair value and the liquidation value to every member of the committee in electronic form, on receiving an undertaking from the member to the effect that such member shall maintain confidentiality of the fair value and the liquidation value and shall not use such values to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person and comply with the requirements under sub-section (2) of section 29:

(3) The resolution professional and registered valuers shall maintain confidentiality of the fair value and the liquidation value.”.

5. In the principal regulations, for sub-regulation (1) of regulation 36, the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to sub-regulation (4), the resolution professional shall submit the information memorandum in electronic form to-

(a) each member of the committee within two weeks of his appointment as resolution professional; and

(b) to each prospective resolution applicant latest by the date of invitation of resolution plan under clause (h) of sub-section (2) of section 25 of the Code.”

6. In the principal regulations, for clause (a) of sub-regulation (2) of regulation 36, the following clause shall be substituted, namely: -

“(a) assets and liabilities with such description, as on the insolvency commencement date, as are generally necessary for ascertaining their values.

Explanation: ‘Description’ includes the details such as date of acquisition, cost of acquisition, remaining useful life, identification number, depreciation charged, book value, and any other relevant details.”.

7. In the principal regulations, for sub-regulation (4) of regulation 36, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(4) The resolution professional shall share the information memorandum after receiving an undertaking from a member of the committee or a prospective resolution applicant to the effect that such member or resolution applicant shall maintain confidentiality of the information and shall not use such information to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person and comply with the requirements under sub-section (2) of section 29.”

8. In the principal regulations, after regulation 36, the following shall be inserted, namely: -

**“36A. Invitation of Resolution Plans**

(1) The resolution professional shall issue an invitation , including evaluation matrix, to the prospective resolution applicants in accordance with clause (h) of sub-section (2) of section 25, to submit resolution plans at least thirty days before the last date of submission of resolution plans.

(2) Where the invitation does not contain the evaluation matrix, the resolution professional shall issue, with the approval of the committee, the evaluation matrix to the prospective resolution applicants at least fifteen days before the last date for submission of resolution plans.

(3) The resolution professional may modify the invitation, the evaluation matrix or both with the approval of the committee within the timelines given under sub-regulation (1) or sub-regulation (2), as the case may be.

(4) The timelines specified under this regulation shall not apply to an ongoing corporate insolvency resolution process-

(a) where a period of less than thirty-seven days is left for submission of resolution plans under sub-regulation (1);

(b) where a period of less than eighteen days is left for submission of resolution plans under sub-regulation (2).

(5) The resolution professional shall publish brief particulars of the invitation in Form G of the Schedule:

(a) on the website, if any, of the corporate debtor; and

(b) on the website, if any, designated by the Board for the purpose.”

9. In the principal regulations, for regulation 37, the following regulation shall be substituted, namely: -

“**37. Resolution Plan.** - A resolution plan shall provide for the measures, as may be necessary, for insolvency resolution of the corporate debtor for maximization of value of its assets, including but not limited to the following:-

(a) transfer of all or part of the assets of the corporate debtor to one or more persons;

(b) sale of all or part of the assets whether subject to any security interest or not;

(c) the substantial acquisition of shares of the corporate debtor, or the merger or consolidation of the corporate debtor with one or more persons;

(d) satisfaction or modification of any security interest;

(e) curing or waiving of any breach of the terms of any debt due from the corporate debtor;

(f) reduction in the amount payable to the creditors;

(g) extension of a maturity date or a change in interest rate or other terms of a debt due from the corporate debtor;

(h) amendment of the constitutional documents of the corporate debtor;

(i) issuance of securities of the corporate debtor, for cash, property, securities, or in exchange for claims or interests, or other appropriate purpose;

(j) change in portfolio of goods or services produced or rendered by the corporate debtor;

(k) change in technology used by the corporate debtor; and

(l) obtaining necessary approvals from the Central and State Governments and other authorities.”

10. In the principal regulations, after sub-regulation (3) of regulation 39, the following sub-regulation (3A) shall be inserted, namely: -

“(3A) The committee shall, while approving the resolution plan under sub-section (4) of section (30), specify the amounts payable from resources under the resolution plan for the purposes under sub-regulation (1) of regulation 38.”

11. In the principal regulations, for sub-regulation (4) of regulation 39, the following sub-regulation (4) shall be substituted, namely: -

“(4) The resolution professional shall submit the resolution plan approved by the committee to the Adjudicating Authority, at least fifteen days before the expiry of the maximum period permitted under section 12 for the completion of the corporate insolvency resolution process, with the certification that-

(a) the contents of the resolution plan meet all the requirements of the Code and the Regulations; and

(b) the resolution plan has been approved by the committee:

Provided that the timeline specified in this sub-regulation shall not apply to an ongoing corporate insolvency resolution process which has completed 130<sup>th</sup> day from its commencement date.”

12. In the principal regulations, after Form F, the following Form shall be inserted, namely:-

“Form G  
 Invitation of Resolution Plans  
 (Under sub-regulation (5) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

**FOR THE ATTENTION OF THE PROSPECTIVE RESOLUTION APPLICANTS OF  
 (Name of Corporate Debtor)**

Sl. No.	Particulars	
1	NAME OF CORPORATE DEBTOR	
2	DATE OF INCORPORATION OF CORPORATE DEBTOR	
3	AUTHORITY UNDER WHICH CORPORATE DEBTOR IS INCORPORATED / REGISTERED	
4	CORPORATE IDENTITY NUMBER / LIMITED LIABILITY IDENTIFICATION NUMBER OF CORPORATE DEBTOR	
5	ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE AND PRINCIPAL OFFICE (IF ANY) OF CORPORATE DEBTOR	
6	INSOLVENCY COMMENCEMENT DATE IN RESPECT OF CORPORATE DEBTOR	
7	ESTIMATED DATE OF CLOSURE OF INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS	
8	DATE OF ISSUE OF INFORMATION MEMORANDUM	
9	MANNER OF OBTAINING THE INFORMATION MEMORANDUM BY THE PROSPECTIVE RESOLUTION APPLICANTS	
10	DATE OF ISSUE OF INVITATION FOR RESOLUTION PLANS	
11	MANNER OF OBTAINING THE INVITATION BY THE PROSPECTIVE RESOLUTION APPLICANTS	
12	DATE OF ISSUE OF EVALUATION MATRIX	
13	MANNER OF OBTAINING THE EVALUATION MATRIX BY THE PROSPECTIVE RESOLUTION APPLICANTS	
14	LAST DATE FOR SUBMISSION OF RESOLUTION PLANS	
15	MANNER OF SUBMITTING RESOLUTION PLANS BY A PROSPECTIVE RESOLUTION APPLICANT	
16	NAME, ADDRESS AND EMAIL OF THE RESOLUTION PROFESSIONAL, AS REGISTERED WITH THE BOARD	
17	ADDRESS AND EMAIL, IF ANY, OTHER THAN GIVEN AT SL. NO. 16 TO BE USED FOR CORRESPONDENCE WITH THE RESOLUTION PROFESSIONAL	
18	REGISTRATION NUMBER OF RESOLUTION PROFESSIONAL, AS GRANTED BY THE BOARD	

Signature of Resolution Professional  
 For .....(Name of Corporate Debtor)  
 Date and Place....”

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson  
 [ADVT.-III/4/Exty./421/17]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004 on 30<sup>th</sup> November, 2016 and was subsequently amended by—

- 1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG013, dated the 16<sup>th</sup> August, 2017;
- 2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG018, dated the 5<sup>th</sup> October, 2017;
- 3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG019, dated the 7<sup>th</sup> November, 2017; and
- 4) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG022, dated the 31<sup>st</sup> December, 2017.